झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 839/2017

(विद्वत जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, दुमका द्वारा सत्र विचारण सं. 92/2012 दिनांक 17.03.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 18.03.2017 के दंडादेश के आदेश के विरुद्ध)

चुंडा मुर्मू, पुत्र स्वर्गीय मुचिया मुर्मू, निवासी ग्राम- चिरुडीह, डाकघर और थाना- दुमका, जिला- दुमका

.....अपीलकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य .....प्रतिवादी

उपस्थित : **माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद**

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अपीलार्थी के लिए : श्री आदित्य रमन, अधिवक्ता (न्याय मित्र)

उत्तरदाता के लिए : श्री तरुण कुमार, ए.पी.पी.

सी.ए.वी. दिनांक 01/02/2024 को उच्चारित दिनांक 12/02/2024

द्वारा : सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति

1. यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दिनांक 17.03.2017 के दोषी ठहराए जाने के फैसले और दिनांक 18.03.2017 के सजा के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो विद्वत जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- III, दुमका द्वारा सत्र विचरण संख्या 92/ 2012 के जिसके तहत विद्वत ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराया है और आईपीसी की धारा

302 के तहत जीवन के लिए सश्रम कारावास से गुजरने और रु 20, 000/- और जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त तीन महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया था।

2. यह न्यायालय, दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश की वैधता और औचित्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अभियोजन द्वारा संस्थित केस की पृष्ठभूमि का उल्लेख करना उचित समझता है जो सूचना देने वाले सफीद चौकिदार की लिखित रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 29/10/2017 को दर्ज किया गया था जब सूचना देने वाला भारतीय स्टेट बैंक की गंडो शाखा से ड्यूटी से अपने घर जा रहा था तो चिरुडीह गांव के ग्रामीण ने उसे सूचित किया कि चुंडा मुर्मू ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इस जानकारी की पुष्टि करने के लिए, वह चुंडा मुर्मू के घर के पास पहुंचा, जहाँ उसने देखा कि वहाँ कई लोग जमा थे और चुंडा मुर्मू की पत्नी जोबा मरांडी का शव जमीन पर पड़ा था और उसके सिर से खून बह रहा था। यह आगे आरोप लगाया गया है कि पूछताछ पर ग्रामीणों ने कहा कि आज लगभग दो बजे दोपहर पर चुंडा मुर्मू और उसकी पत्नी और जोबा मरांडी के बीच झगड़ा चल रहा था, जो पूरे दिन नशे की हालत में रहता है और कोई काम नहीं करता था और उसकी पत्नी ने अपने चार बच्चों को वैसे भी रखा और वह अपने पति से नाराज होकर अपने पिता के घर कोल्ह, पुलिस स्टेशन काठीकुंड जाना चाहती थी, तो चुंडा मुर्मू ने उसे मना कर दिया और जब उसने ऐसा नहीं किया और अपने पिता के घर जाने के लिए कठोर हो गया तो चुंडा मुर्मू ने एक 'लकड़ी का पिरहा' उठाया और अपनी पत्नी के सिर पर जबरन प्रहार किया, जिसके कारण उसकी पत्नी को गंभीर चोट लगी और वह घायल अवस्था में गिर गई और उसकी मौत हो गई।

3. दिनांक 29.10.2011 को सूचक के फर्दबयान पर दुमका (एम) थाना में कांड संख्या 156/2011 भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 के तहत आरोपी चुंडा मुर्मू के विरुद्ध अपराध के लिए दर्ज किया गया था और जांच पूरी होने के बाद अनुसंधान पदाधिकारी ने आरोपी चुंडा मुर्मू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए संज्ञान आरोपी चुंडा मुर्मू के खिलाफ लिया गया था और मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी , दुमका की अदालत द्वारा दिनांक 29.05.2012 के आदेश द्वारा सत्र न्यायालय को प्रतिबद्ध है।

4. दिनांक 27.09.2012 को नामित आरोपी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप तय किया गया था, जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

5. मुकदमे के दौरान, अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर ग्यारह गवाहों से पूछताछ की है, वे हैं अभियोजन साक्षी 1 मो. सफीद, (इस मामले के सूचक) अभियोजन साक्षी 2 मलिक मरांडी, अभियोजन साक्षी 3 मंगल मुर्मू, अभियोजन साक्षी 4 बटेश्वर मरांडी (शत्रुतापूर्ण) अभियोजन साक्षी 5 जीतू मुर्मू (शत्रुतापूर्ण) अभियोजन साक्षी 6 रास्का मुर्मू, अभियोजन साक्षी 7 मोहम्मद निजामुद्दीन, अभियोजन साक्षी 8 मो. मुख्तार अली, अभियोजन साक्षी 9 परमेश्वर लियांगी, (इस मामले के जांच अधिकारी) अभियोजन साक्षी 10 डॉ. रमेश प्रसाद वर्मा (जिन्होंने पोस्टमॉर्टम किया) और अभियोजन साक्षी 11 मनोज कुमार शर्मा (औपचारिक गवाह)।

6. निचली अदालत ने गवाहों के साक्ष्य, मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा दर्ज करने के बाद आरोपी का बयान दर्ज किया और पाया कि अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप सभी उचित संदेह से परे साबित हुए। तदनुसार, अपीलार्थी को दोषी पाया गया था और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उक्त अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो तत्काल अपील का विषय है।

7. दोषसिद्धि और सजा के आदेश का उपरोक्त निर्णय इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है कि क्या विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराते समय कोई अवैध कार्य किया है या नहीं।

8. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान न्यायमित्र श्री आदित्य रमन ने निम्नलिखित आधारों पर दोषसिद्धि और सजा के आदेश के विवादित निर्णय पर हमला किया हैः

I. कि अभियोजन पक्ष आरोप को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है जिसे सभी उचित संदेह से परे साबित किया गया है।

II. कि अभियोजन पक्ष यह समझने में भी विफल रहा है कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां धारा 302 भारतीय दंड संहिता का कोई घटक है, आकर्षित होता है।
III. यह स्वीकार किया जाता है कि मामले में, घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अपीलार्थी को मामले में दोषी ठहराया गया है।

IV. इसके अलावा, मामले में जांच अव्यवस्थित तरीके से की गई है और गवाहों की गवाही में काफी विरोधाभास है और विसंगतियां और विसंगतियां हैं, लेकिन विद्वत विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय पारित करते समय इन तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा।

V. इसके अलावा, मृतक पर हमला करने के अपराध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'लकड़ी के पिरहा' (लकड़ी के तख्ते) को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं भेजकर किसी भी पुष्टि के अभाव में अपराध को निर्णायक रूप से साबित नहीं कहा जा सकता है।

VI. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने, उपरोक्त आधार के आधार पर, प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित निर्णय अवैधता से ग्रस्त है, इसलिए कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है।

VII. यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष की कहानी को भी सच माना जाता है, तो भी विद्वत निचली अदालत यह समझने में विफल रही है कि हत्या का अपराध केवल पत्नी के माता-पिता के घर जाने के मामले में पति और पत्नी के बीच अचानक हुए झगड़े में जुनून की गर्मी के आधार पर है।

VIII. इसलिए, वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के मामले को सत्य स्वीकार करने पर भी, तब भी, अधिक से अधिक यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत आता है। अपील इस तथ्य पर विचार करता है कि जिस तरीके और तरीके से हत्या का आरोप लगाया गया है, जो कि सिर पर 'लकड़ी के पिरहा' का एक प्रहार देने से है, डॉक्टर की गवाही से इन तथ्यों की पुष्टि होती है।

9. श्री तरुण कुमार, सहायक लोक अभियोजक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए कि निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है, आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थियों की ओर से अपील आधारों का विरोध किया हैः

I. यह एक ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेह से परे आरोप को साबित करने में सक्षम रहा है, क्योंकि माना जाता है कि हमला मृतक पर किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई थी।

II. अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों ने निर्णायक रूप से अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया है, और अपीलार्थी द्वारा मृतक के सिर पर पिरहा [लकड़ी का तख्ता] मारने के बयान की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गई है और आगे उक्त पिरहा (लकड़ी का तख्ता) घटना स्थल से बरामद किया गया था और अपीलार्थी को घटना स्थल पर पकड़ा गया था।

III. अनुसंधान पदाधिकारी ने घटना के होने का गवाहों की की गवाही से समर्थन करके घटना की पुष्टि की है साथ-साथ मृतक को लगी चोट की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गई है जिसमें डॉक्टर ने पाया है कि चोटों की प्रकृति कठोर और कुंद पदार्थ के कारण हुई है और मृतक के मृत शरीर पर चोट भी पाई गई है।

IV. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और सूचक ने, उपरोक्त आधार के आधार पर, प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए तत्काल अपील खारिज किए जाने के लिए उपयुक्त हैं।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विशेष रूप से गवाहों की गवाही और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का भी अवलोकन किया है।

11. यह न्यायालय पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्क पर विचार करने से पहले अब विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज गवाही के अनुसार गवाहों के बयान पर विचार करने के लिए आगे बढ़ रहा है।

12. अभियोजन साक्षी 1 मो. सफीद इस मामले का सूचक है। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि 29.10.2011 को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया , गंडो ब्रांच में अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद, जब वह अपनी मोटरसाइकिल पर अपने घर जा रहे थे, तो उन्हें गांव चिरुडीह से टेलीफोन पर सूचना मिली कि चुंडा मुर्मू की पत्नी की हत्या कर दी गई है और ग्रामीणों की भीड़ को देखा, जहाँ चुंडा की पत्नी जोबा आंगन में घायल हालत में लेटी हुई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। ग्रामीणों ने कहा कि चुंडा ने उसके सिर पर 'पिरहा' (लकड़ी की संरचना) से वार करके उसकी हत्या कर दी है। उसने आगे कहा है कि उसने मोबाइल से पुलिस को सूचित किया तो पुलिस आई और शव को ले गई। उन्होंने आगे कहा है कि उनका बयान गांव के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। उन्होंने अपने फ़र्दबेयान पर हस्ताक्षर किए हैं,
जिसे प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने आरोपी की पहचान कर ली है। अपनी जिरह में उसने कहा है कि कई ग्रामीणों ने बताया कि चुंडा ने उसकी पत्नी की हत्या की है। इस गवाह से विस्तार से जिरह की गई है।

13. अभियोजन साक्षी 2 मलिक मरांडी ने अपने मुख्या जाँच में कहा है कि यह घटना डेढ़ साल पहले हुई थी और उस समय वह अपने घर पर थे। उसने आगे कहा है कि मैनुद्दीन अंसारी ने बताया है कि चुंडा ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। उन्होंने आगे कहा है कि वह जाने वाले थे तो एक बच्चे ने कहा है कि घायल की मौत हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जोबा जमीन पर लेटी हुआ था और खून बह रहा था और ग्रामीणों ने चुंडा को बांधकर रखा था और जब उन्होंने चुंडा से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पिरहा को वार कर अपनी पत्नी की हत्या की है क्योंकि मृतक अपने पांच बच्चों को छोड़कर मेला जाने के लिए दो रातों के लिए उसके घर से बाहर था और पूछताछ पर वह झगड़ा करने लगी और नैहर जाने लगी तो उसने उसे रोक दिया और गुस्से में उसने उसे 'पिरहा' मारा। उन्होंने आगे कहा है कि चुंडा और जोबा दोनों नशे की हालत में थे, फिर उन्होंने मोबाइल पर चौकीदार को सूचित किया। उन्होंने कहा है कि शव का कागज तैयार किया गया था और उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिह्नित किया गया है। इस गवाह से विस्तार से जिरह की गई।

14. अभियोजन साक्षी 3 मंगल मुर्मू ने कहा है कि यह घटना पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। उसने आगे कहा है कि वह वहाँ हुल्ला पर पहुँचा और देखा कि चुंडा की पत्नी मृत पड़ी है और पिरहा भी वहाँ है और

चुंडा को बांधकर रखा गया है। उसने आगे कहा है कि आरोपी ने लकड़ी के पिरहा से वार करके हत्या की थी, लेकिन उसे इसके पीछे का कारण नहीं पता है। उन्होंने आरोपी की पहचान कर ली है। उसने अपनी जिरह में कहा है कि चुंडा उसका भतीजा है और उसके चार बच्चे हैं जो उसके साथ रहते हैं।

15. अभियोजन साक्षी 4 बटेश्वर मरांडी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना लगभग 3 साल पहले हुई थी। उन्होंने आगे कहा है कि उनके ग्रामीण चुंडा मुर्मू की पत्नी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी मृत्यु कैसे और कब हुई। उसने आगे कहा है कि वह मोरभंगा डाकघर से लौट रहा था तो पुलिस ने उसे बुलाया और जब्ती सूची में उसके हस्ताक्षर लिए। उन्होंने उसी पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, जिसे प्रदर्श 3 के रूप में चिह्नित किया गया है। - अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है।
16. अभियोजन साक्षी 5 जीतू मुर्मू। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उन्हें घटना के बारे में पता नहीं है। इस गवाह को भी शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है।

17. अभियोजन साक्षी 6 रास्का मुर्मू ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उन्हें पता है कि घटना कब हुई थी। उन्होंने आगे कहा है कि घटना के समय पुलिस आ गई है। उन्होंने आगे कहा है कि 29.10.2011 को पुलिस ने चुंडा मुर्मू के घर से उसके सामने खून और खून से सना मिट्टी से भरा पिरहा (लकड़ी का ढांचा) जब्त किया है। उन्होंने जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, जिसे प्रदर्श 3/1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

18. अभियोजन साक्षी 7 मो. निजामुद्दीन ने अपनी जांच में कहा है कि घटना 29.10.2011 को हुई थी और उस समय वह मुफ्फसिल पुलिस स्टेशन, दुमका में तैनात था। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें रात में टेलीफोन से जानकारी मिली कि यह घटना चुंडा के गांव चिरुडीह के घर में हुई है, फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि चुंडा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद वह रात में वहां पहुंचा और देखा कि मृतक का शव घर के बरामदे (आंगन) में पड़ा था और शव के पास खून से सना पिरहा भी पड़ा था और जब उसने ग्रामीणों से पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई तो ग्रामीणों ने उसे बताया के चुंडा मुर्मू ने उसे मार डाला और ग्रामीणों ने उसे खुटा [मिट्टी में जड़ा लकड़ी के तख्ते का टुकड़ा] से बांध रखा है फिर

वह चुंडा मुर्मू के पास गया और उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी पत्नी रात में बाहर जाती थी और उसे खाना बनाना होता था और इसी गुस्से में उसने उसे मार डाला।

19. इस गवाह ने आगे कहा है कि इसके बाद उसने गाँव के चौकीदार को सूचित किया और उसे बुलाया और बाद में उसने पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भी बुलाया। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी 2:00 बजे दोपहर पर आए और उन्होंने शव और चुंडा मुर्मू को प्रभारी अधिकारी को सौंप दिया। वहाँ पर उन्होंने आगे कहा बाद में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने उसे शव के पोस्टमॉर्टम के लिए कमान दिया और उसके साथ एक चौकीदार भेजा जहां पोस्टमॉर्टम किया गया है। उन्होंने आरोपी की पहचान कर ली है।

20. अभियोजन साक्षी मो. मुख्तार अली ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना 29.10.2011 को लगभग 1:30 बजे दोपहर . पर हुई थी और उस समय वह अपने घर के बरामदे में बैठे थे। उसने आगे कहा है कि आरोपी के भाई मैनू किस्कु की पत्नी चिल्लाने लगी तो वह वहां पहुंचा और देखा कि सामने का दरवाजा बंद था और मनुद्दीन अंसारी ने पीछे से दरवाजा खोला तो वह कमरे में घुस गया और देखा कि शव दरवाजे के पास पड़ा था और जब उसने उसे छुआ तो उसे लगा कि उसकी सांस चल रही है तो उसने वाहन की व्यवस्था की, इस बीच उसकी मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा है कि मैनू किस्कु ने बताया कि आरोपी ने पीरहा से मृतक पर हमला किया और कान से खून बह रहा था और पीरहा वहां पड़ा हुआ था। उन्होंने आगे कहा है कि कई ग्रामीण वहां जमा थे और चुंडा मुर्मू कुछ दूरी पर खाट पर बैठे थे और उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने सरदार जी को टेलीफोन किया तो वे आए और चौकीदार और पुलिस भी आ गई है।

21. अभियोजन साक्षी 9 परमेश्वर लियांगी, इस मामले के अनुसंधान पदाधिकारी हैं। उसने अपनी जांच में कहा है कि 29.10.2011 को वह दुमका (एम) पुलिस स्टेशन में तैनात था और 3 बजे दोपहर पर उसे सूचना मिली कि गांव चिरुडीह में, अपीलार्थी-पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उस जानकारी पर उसने सन्हा संख्या 643 पुलिस डायरी में दर्ज किया और सहायक उप- निरीक्षक विलियम जॉर्ज टोपनो और सशस्त्र बल के साथ सत्यापन के लिए आगे बढ़े। गांव चिरुडीह के चुंडा मुर्मू के घर पहुंचे और चौकीदार नं. 9/2 मो. सफीद, जो उनकी कलम और हस्ताक्षर में है और गवाह मलिक मरांडी, जीतू मुर्मू

और मंगल मुर्मू द्वारा भी गाया गया है। उन्होंने उसी की पहचान की है, जिसे प्रदर्श 4 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस मामले की घटना का स्थान दक्षिण की ओर मिट्टी-टाइल वाला घर है और इसके बाहर भी आंगन की तरह का एक स्थान है, जो आरोपी चुंडा मुर्मू का घर है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने घटना के स्थान का नक्शा तैयार किया है, जो केस डायरी के पृष्ठ-04 पर उल्लिखित है, जिसे प्रदर्श 5 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने दो स्वतंत्र गवाहों मल्लिक मरांडी और मंगल मरांडी के सामने पूछताछ रिपोर्ट भी तैयार की है, जिस पर दोनों गवाहों के हस्ताक्षर हैं और उन्होंने खुद उस हस्ताक्षर किया है, जिसे प्रदर्श 6 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने रास्का मुर्मू और बटेश्वर मुर्मू नामक दो गवाहों की उपस्थिति में घटना स्थल से खून से सना पिरहा जब्त किया है, जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी हैं और इसकी एक प्रति आरोपी को भी दी गई है, जिसे प्रदर्श 7 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि मृतक के शव का चालान तैयार करने के बाद उन्होंने चौकीदार नं. 9/2 मो. सफीद को मृतक के शव के साथ पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल, दुमका ले जाया गया। उन्होंने गिरफ्तारी ज्ञापन को साबित कर दिया है, जो उनकी कलम और हस्ताक्षर में है, जिसे प्रदर्श 8 के रूप में चिह्नित किया गया है। उसने आगे कहा है कि उसने आरोपी के बचाव के सबूत दर्ज किए हैं जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया है और उसने जब्त की गई वस्तु को पुलिस स्टेशन मलखाना में रखा है। उन्होंने फरदबयान पर समर्थन भी साबित किया है, जो उनकी कलम और हस्ताक्षर में है, जिसे प्रदर्श 9 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने औपचारिक एफआईआर की भी पहचान की है, जो सिद्ध नाथ सिंह द्वारा लिखी गई है और उनके द्वारा हस्ताक्षरित है जिसे प्रदर्श 10 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने अग्रेषण पत्र को भी साबित किया है, जो उनकी कलम और हस्ताक्षर में है जिसे प्रदर्श 11 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके बाद, उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनके नाम मैनू किस्कु, मो. मुख़्तार अली, मो. निजामुद्दीन अंसारी और रस्का, जिन्होंने घटना का समर्थन किया है और उन्होंने सदर अस्पताल, दुमका से मृतक की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त की है, जिसका उल्लेख केस डायरी में किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी से पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, उन्होंने आरोपी चुंडा मुर्मू के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र संख्या 158/2011 दिनांक 30.11.2011 प्रस्तुत किया है। उन्होंने अदालत में मौजूद आरोपी की पहचान कर ली है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, अनुच्छेद 15 में उन्होंने गवाही दी है कि किसी भी गवाह ने उन्हें घटना के गवाह होने के बारे में नहीं बताया है।

22. अभियोजन साक्षी 10 डॉ. रमेश प्रसाद वर्मा हैं, जिन्होंने जोबा मरांडी के शव का पोस्टमॉर्टम किया है।

उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि 30.10.2011 को, उन्हें मेडिकल ऑफिसर, सदर अस्पताल, दुमका के रूप में तैनात किया गया था और उसी दिन 1:50 बजे सुबह पर, उन्होंने जोबा मरांडी, पत्नी चुंडा मुर्मू, गांव चिरुडीह के निवासी, थाना दुमका (एम) जिला दुमका, के शव का पोस्टमॉर्टम किया। महिला की आयु लगभग 36 वर्ष, शव की पहचान चौकीदार 9/02 मोहम्मद सफीर द्वारा की गई थी और उन्हें मृतक के शरीर निम्नलिखित एंटीमॉर्टम चोटें मिलीं:

(I) दाहिनी ओर ऊपरी होंठ पर घाव।

(II) पार्श्विका क्षेत्र के सामने बाएँ हिस्से में सूजन फैलाना।उन्होंने आगे कहा है कि विच्छेदन पर, रक्त का त्वचीय संग्रह था। आगे विच्छेदन करने पर, बाईं पार्श्विका की हड्डी टूटी हुई पाई गई।खोपड़ी के खुलने पर, मस्तिष्क के साथ कपाल गुहा में रक्त का संग्रह था और घाव पाए गए। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने चारों अंगों में कठोरता पाई है।

उनकी राय में, मृत्यु आघात और रक्तस्राव के परिणामस्वरूप चोट संख्या (ii) कठोर और कुंद पदार्थ द्वारा उपयोग किया जाने वाला हथियार और 24 घंटों के भीतर मृत्यु के बाद से समय बीत गया। उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की पहचान की है जो उनके कलम और हस्ताक्षर में है, जिसे प्रदर्श 12 के रूप में चिह्नित किया गया है।

23. अभियोजन साक्षी 11 मनोज कुमार शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उन्होंने मुफ्फसिल थाना की जब्त की गई वस्तु केस संख्या 156/2011 अतिरिक्त लोक अभियोजक के निर्देश पर और मेमो संख्या 760/16 पुलिस अधीक्षक के आधार कागज में कवर किया गया था जो अदालत में खोला गया था जो प्लास्टिक बैग में रखा गया है जिसमें एक लकड़ी का पिरहा है जिस पर एम.आर.संख्या 18/2011 का उल्लेख किया गया है, जिसे सामग्री प्रदर्श। के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि उसी प्लास्टिक बैग में प्लास्टिक में खून के दाग वाली मिट्टी रखी होती है जिसे सामग्री प्रदर्श II के रूप में चिह्नित किया जाता है। वह एक पत्र लेकर आया है जो पुलिस इंस्पेक्टर बीरेंद्र पी. डी सिंह द्वारा अदालत को लिखा गया है, जो अदालत में सामग्री प्रदर्श भेजने से संबंधित है, जो पुलिस निरीक्षक बीरेंद्र पी. डी. सिंह के कलम और हस्ताक्षर में है, जिसकी पहचान प्रदर्श 13 के रूप में चिह्नित किया गया। अपनी जिरह में उसने कहा है

कि उसे नहीं पता कि पुलिस स्टेशन मलखाना में सामग्री प्रदर्श कब आई थी। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि खून से सना मिट्टी और खून से लथपथ पिरहा को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है या नहीं और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि खून से लथपथ मिट्टी कहां से एकत्र की गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि खून से सना मिट्टी को सील नहीं किया जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि जो पिरहा उन्होंने लाया है, उसे पुलिस स्टेशन मलखाना में डिब्बे में नहीं रखा गया था, बल्कि उसे कागज से ढककर रखा गया था और उस कागज पर कोई मुहर नहीं थी और उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि उक्त पिरहा कहां से बरामद किया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें इस घटना के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

24. विद्वत निचली अदालत ने, ऊपर उल्लिखित, चश्मदीद गवाहों की गवाही के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 302/34 के तहत अपीलार्थियों को दोषी ठहराते हुए दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया है और कठोर कारावास से गुजरने का आदेश दिया है।

25. यह न्यायालय, अपीलार्थी की ओर से धारा 302 के तहत या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I या भाग-II के तहत अपराध के अपराध की दंडनीयता के संबंध में की गई प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की तुलना में, कुछ न्यायिक दस्तावेजों को संदर्भित करना उचित समझता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या 304 भाग-I या भाग-II के तहत किए गए अपराध की प्रयोज्यता के संबंध में।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरिंदर कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के मामले में (1989) 2 एस. सी. सी. 217 में रिपोर्ट की गई विधि की उपरोक्त स्थिति पर विचार किया है, जिसमें अनुच्छेद 6 और 7 में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

“6 धारा 300 का अपवाद 4 इस प्रकार हैः अपवाद 4.-दोषपूर्ण हत्या हत्या नहीं है यदि यह अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में पूर्व-चिंतन के बिना और अपराधी के अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना की जाती है।

स्पष्टीकरण -ऐसे मामलों में यह मायने नहीं रखता कि कौन सा पक्ष उकसाने की पेशकश करता है या पहला हमला करता है।

7. इस अपवाद को लागू करने के लिए चार आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (i) यह एक अचानक लड़ाई थी; (ii) कोई पूर्वधारणा नहीं थी; (iii) यह कार्य जुनून की गर्मी में किया गया था; और (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था। झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसाने की पेशकश की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान हुए घावों की संख्या एक निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि घटना अचानक और पूर्व नियोजित नहीं हुई होगी और अपराधी ने गुस्से में काम किया होगा। बेशक, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया होगा या क्रूर तरीके से काम नहीं किया होगा। जहां, अचानक झगड़े पर, क्षण की गर्मी में एक व्यक्ति एक हथियार उठाता है जो काम आता है और चोट पहुंचाता है, जिनमें से एक घातक साबित होता है, वह इस अपवाद के लाभ का हकदार होगा बशर्ते उसने क्रूरता से काम नहीं किया हो।

वर्तमान मामले में मृतक और अभियोजन साक्षी 2 ने सिकंदर लाल और उसके परिवार के सदस्यों के कमरे में प्रवेश किया था और रसोई खाली करने की मांग की थी जब पाया गया कि अपीलार्थी रसोई का कब्जा सौंपने के लिए अनिच्छुक था, अभियोजन साक्षी 2 ने अपीलार्थी की बहन की उपस्थिति में झगड़ा किया और गंदी गालियाँ दीं। अपीलार्थी द्वारा उसे रुकने के लिए कहने पर उसने बर्तन आदि निकालकर रसोईघर को बंद करने की धमकी दी, और इससे एक तरफ अपीलार्थी और दूसरी तरफ अभियोजन साक्षी 2 और उसके मृत भाई के बीच तीखी बहस हुई। इस गरमागरम बहस के दौरान यह अपीलार्थी का मामला है कि अभियोजन साक्षी 2 ने उसकी पैंट की जेब से एक चाकू निकाला। अपीलार्थी के मामले का यह भाग अभियोजन साक्षी 2 के पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए संभावित प्रतीत होता है। यह रिकॉर्ड में है कि अभियोजन साक्षी 2 को नारनौल में दो मौकों पर आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया था

और उसका नाम स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक बुरे चरित्र के रूप में दर्ज किया गया था। संभवतः इसी वजह से वह कुछ साल पहले नारनौल से चंडीगढ़ शिफ्ट हुए थे और अभियोजन साक्षी 4 द्वारा किराए पर लिए गए परिसर में रहने लगे थे। जब अपीलार्थी को पता चला कि अभियोजन साक्षी 2 ने उसकी जेब से एक कलम चाकू निकाला है तो वह बगल की रसोई में गया और एक चाकू लेकर लौटा। अभियोजन साक्षी 2 को हुई साधारण चोट से यह प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षी 2 एक आसान लक्ष्य नहीं था। यही कारण है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस मामले को खारिज कर दिया कि अमृत लाल ने अपीलार्थी द्वारा उस पर हमला करने के लिए अभियोजन साक्षी 2 को अभिनिर्धारित किया था। इसके बाद ऐसा लगता है कि अपने भाई अभियोजन साक्षी 2 की मदद करने के लिए हस्तक्षेप करने वाले नित्य नंद पर हाथापाई हुई होगी, जिसमें मृतक को बाएं हाथ पर दो मामूली चोटें आईं थीं, इससे पहले कि निप्पल से लगभग 2 "नीचे पांचवीं पसलियों के स्तर पर बाएं हिस्से पर घातक प्रहार किया गया था। संयोगवश यह उल्लेख किया जा सकता है कि निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन साक्षी 2 की गर्दन पर लगी चोट स्वयं का घाव था और इसलिए उसने अपीलार्थी को आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप से बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी। हालाँकि, हम इस आधार पर इस मामले की जाँच करने के लिए आगे बढ़े हैं कि घटना के दौरान अभियोजन साक्षी 2 को चोट लगी थी। उपरोक्त तथ्यों से, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि जब अभियोजन साक्षी 2 और उसके मृत भाई ने अपीलार्थी के कमरे में प्रवेश किया और बाद की बहन की उपस्थिति में गंदी गालियाँ दीं, तो गुस्सा भड़क गया और अभियोजन साक्षी 2 केकलम चाकू निकालने पर अपीलार्थी ने रसोई से चाकू उठाया, अभियोजन साक्षी 2 की ओर दौड़ा और एक साधारण चोट उनकी गर्दन पर पर किया। यह अनुमान लगाना उचित होगा कि मृतक ने अपने भाई अभियोजन साक्षी 2 के पक्ष में हस्तक्षेप किया होगा और हाथापाई के दौरान उसे चोटें आईं, जिनमें से एक घातक साबित हुई। घटना के समग्र दृष्टिकोण को लेते हुए हम यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि अपीलार्थी उस अपवाद के लाभ का हकदार था जिस पर भरोसा किया गया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें वह लाभ इस आधार पर देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने क्रूर तरीके से काम किया था, लेकिन हम नहीं सोचते कि केवल इसलिए कि मृतक को तीन चोटें आईं थीं, यह कहा जा सकता है कि उन्होंने क्रूर और असामान्य तरीके से काम किया था। इन परिस्थितियों में, हमें लगता है कि आरोपी को आईपीसी की धारा 304, भाग। के तहत दोषी ठहराना और उसे 7 साल के लिए कठोर कारावास भुगतने का निर्देश देना उचित है।

[जोर दिया गया]

27. नानकुनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 3 एस. सी. सी. 317 में रिपोर्ट किए गए मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आशय उद्देश्य से भिन्न है। यह वह इरादा है जिसके साथ कार्य किया जाता है जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने में अंतर पैदा करता है कि क्या अपराध गैर-इरादतन हत्या है या हत्या, तैयार संदर्भ के लिए अनुच्छेद 11 को यहाँ उद्धृत और संदर्भित किया जा रहा हैः-

"11. अभिप्रेरणा उद्देश्य से अलग होती है। यह वह इरादा है जिसके साथ कार्य किया जाता है जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने में अंतर पैदा करता है कि क्या अपराध गैर-इरादतन हत्या है या हत्या। आई. पी. सी. की धारा 300 के तीसरे खंड में दो भाग हैं। पहले भाग के तहत यह साबित किया जाना चाहिए कि मौजूद चोट को पहुंचाने का इरादा था और दूसरे भाग के तहत यह साबित किया जाना चाहिए कि चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड III पर विचार करना और जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) में विरसा सिंह मामले [विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1958 एस.सी. 465] में बताए गए सिद्धांतों को दोहराना। [जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1991) 2 एस. सी. सी. 32], अनुच्छेद 12, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी. पृ. 41)

"12. इन टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय की खंड पीठ ने जगरूप सिंह मामले [जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (1981) 3 एस. सी. सी. 616] में इस प्रकार टिप्पणी कीः (एससीसी पृष्ठ 620, अनुच्छेद 7)

"7. विरसा सिंह मामले (विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 465) में खंड III की प्रयोज्यता के लिए निर्धारित परीक्षण अब हमारी कानूनी प्रणाली में निहित है और कानून के शासन का हिस्सा बन गया है।

डिवीजन बेंच ने आगे यह भी कहा कि निर्णय में विरसा सिंह मामला [विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर.1958 एस.सी. 465] का मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करने के रूप में पालन किया गया है। इन दोनों मामलों में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना

होगा कि (1) शरीर की चोट मौजूद है, (2) कि चोट सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, (3) कि अभियुक्त ने उस विशेष चोट को पहुंचाने का इरादा किया था, अर्थात यह कहना कि यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं थी या किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था। दूसरे शब्दों में, खंड तीन में दो भाग होते हैं। पहला भाग यह है कि जो चोट मौजूद पाई गई है उसे देने का इरादा था और दूसरा भाग यह है कि उक्त चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। पहले भाग के तहत अभियोजन पक्ष को दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित करना होगा कि अभियुक्त का इरादा उस विशेष चोट का कारण बनना था। जबकि दूसरे भाग के तहत क्या यह मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था, एक वस्तुनिष्ठ जांच है और यह चोट के विवरण से निष्कर्ष या कटौती का मामला है। धारा 300 के खंड 3 की भाषा दो स्थानों पर आशय की बात करती है और प्रत्येक में अभियोजन पक्ष द्वारा अनुक्रम स्थापित किया जाना है इससे पहले कि मामला उस खंड में आ सके। अभियुक्तों का "इरादा" और "ज्ञान" मन की व्यक्तिपरक और अदृश्य अवस्थाएँ हैं और उनके अस्तित्व को परिस्थितियों से एकत्र किया जाना चाहिए, जैसे कि इस्तेमाल किया गया हथियार, हमले की क्रूरता, चोटों की बहुलता और आसपास की अन्य सभी परिस्थितियाँ। संहिता के निर्माताओं ने योजनाबद्ध रूप से "इरादा" और "ज्ञान" शब्दों का उपयोग किया और यह स्वीकार किया जाता है कि परिणामों का ज्ञान जिसके परिणामस्वरूप एक अधिनियम एक ही बात नहीं है कि इस तरह के परिणाम सामने आने चाहिए। सबसे पहले, जब कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो यह माना जाता है कि उसे पता होना चाहिए कि कुछ निर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होंगे या हो सकते हैं। लेकिन वह ज्ञान केवल जागरूकता है और इरादे के समान नहीं है कि इस तरह के परिणाम सामने आने चाहिए। "ज्ञान" की तुलना में, "इरादे" के लिए परिणामों की केवल दूरदर्शिता से कुछ अधिक की आवश्यकता होती है, अर्थात्, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी चीज़ को उद्देश्यपूर्ण रूप से करना।

28. मुरलीधर शिवराम पाटेकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2015) 1 एस. सी. सी. 694 रिपोर्ट किए गए के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह अनुच्छेद 28 और 29 में जो इसके नीचे इस प्रकार हैः –

"28. हालाँकि, यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति और क्या यह आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आता है। सुरिन्दर कुमार [सुरिन्दर कुमार बनाम यू. टी.,

चंडीगढ़, (1989) 2 एस. सी. सी. 217] के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः (एससीसी पृष्ठ 220, अनुच्छेद)

“7. इस अपवाद को लागू करने के लिए चार आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (i) यह एक अचानक लड़ाई थी; (ii) कोई पूर्वधारणा नहीं थी; (iii) यह कार्य जुनून की गर्मी में किया गया था; और (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था। झगड़े का कारण प्रासंगिक नहीं है और न ही यह प्रासंगिक है कि किसने उकसाने की पेशकश की या हमला शुरू किया। घटना के दौरान हुए घावों की संख्या एक निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि घटना अचानक और पूर्व नियोजित नहीं हुई होगी और अपराधी ने गुस्से में काम किया होगा। बेशक, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया होगा या क्रूर तरीके से काम नहीं किया होगा। जहाँ, अचानक झगड़े पर, पल की गर्मी में एक व्यक्ति एक हथियार उठाता है जो काम आता है और चोट पहुंचाता है, जिनमें से एक घातक साबित होता है, वह-22-सीआर। अपील (डी. बी.) नं. 2017 का 839 इस अपवाद के लाभ का हकदार होगा बशर्ते उसने क्रूरता से कार्य न किया हो। (जोर दिया गया)

29. इसके अतिरिक्त अरुमुगम बनाम राज्य [(2008) 15 एस. सी. सी. 590 पृष्ठ 595: (2009) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1130] में विधि के इस प्रस्ताव के समर्थन में कि मृत्यु होने पर आई. पी. सी. की धारा 300 के अपवाद 4 को किन परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, यह निम्नानुसार समझाया गया हैः (एससीसी, पृष्ठ 596, अनुच्छेद 9)

"9. " 18. अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) पूर्वकल्पना के बिना; (ख) अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। अपवाद 4 के भीतर एक मामले को लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी अवयवों को पाया जाना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली "लड़ाई" को दंड संहिता, 1860 में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने में दो लगते हैं। जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया था।

लड़ाई दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम का प्रतिपादन करना संभव नहीं है कि क्या माना जाएगा अगर अचानक झगड़ा हो जाए। यह तथ्य का सवाल है और क्या झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "अनुचित लाभ" का अर्थ है "अनुचित लाभ"। [जोर दिया गया]

29. सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में (2017) 5 एस. सी. सी. 796 में अनुच्छेद 13 पर रिपोर्ट की गई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है जिसे यहां नीचे निर्दिष्ट किया जा रहा हैः—

13. आई. पी. सी. की धारा 300 का अपवाद 4 किसी पूर्वधारणा के अभाव में लागू होता है। यह अपवाद के शब्दों से ही बहुत स्पष्ट है। अपवाद इस बात पर विचार करता है कि अचानक लड़ाई अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी से शुरू होगी। आई. पी. सी. की धारा 300 के चौथे अपवाद में अचानक लड़ाई में किए गए कार्य शामिल हैं। उक्त अपवाद पहले अपवाद के अंतर्गत नहीं आने वाले उकसावे के मामले से संबंधित है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वधारणा का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का कुल अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की गर्मी है जो पुरुषों के शांत तर्क को प्रभावित करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करेंगे। अपवाद 1 के रूप में अपवाद 4 में उकसावा है, लेकिन की गई चोट उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में, अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें इसके बावजूद कि एक झटका लगा हो सकता है, या विवाद की उत्पत्ति में या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो सकता है, फिर भी दोनों पक्षों के बाद के आचरण ने उन्हें अपराध के संबंध में समान आधार पर रखा है। एक "अचानक लड़ाई" का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर मार-पीट। तब की गई हत्या का स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है, और न ही ऐसे मामलों में पूरे दोष को एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा था, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होगा। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक

एक लड़ाई होती है, जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने अपने स्वयं के आचरण से इसे नहीं बढ़ाया होता तो यह उतना गंभीर मोड़ नहीं लेता जितना उसने लिया था। फिर आपसी उकसावा और उत्तेजना होती है, और प्रत्येक योद्धा के लिए दोष के हिस्से को विभाजित करना मुश्किल होता है।"

30. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या, (1976) 4 एस.सी.सी. 382 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 और उनके परिणामों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः-

"12. दंड संहिता की योजना में, "गैर-इरादतन हत्या" जीनस है और "हत्या" प्रजाति है। सभी "हत्या" "गैर-इरादतन हत्या" है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। आम तौर पर, "गैर इरादतन हत्या हत्या के बराबर नहीं है"। इस सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, संहिता व्यावहारिक रूप से गैर-इरादतन हत्या के तीन स्तरों को मान्यता देती है। पहला वह है जिसे "प्रथम श्रेणी की गैर इरादतन हत्या" कहा जा सकता है। यह गैर इरादतन हत्या का सबसे बड़ा रूप है, जिसे धारा 300 में "हत्या" के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे को "दूसरे दर्जे की गैर इरादतन हत्या" कहा जा सकता है। यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। फिर, "थर्ड डिग्री की गैर-इरादतन हत्या" होती है। यह सबसे कम प्रकार की गैर-इरादतन हत्या है और इसके लिए प्रदान की गई सजा भी तीन श्रेणियों के लिए प्रदान की गई सजाओं में सबसे कम है। इस डिग्री की निंदनीय हत्या धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।
[जोर दिया गया]

31. पुलीचेरला नागराजू बनाम ए. पी. राज्य, (2006) 11 एससीसी 444 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए प्रासंगिक कुछ परिस्थितियों की गणना की कि क्या अभियुक्त की ओर से मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा था। न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन कियाः-

"29. इसलिए, न्यायालय को इरादे के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सावधानी और सावधानी के साथ निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय करेगा कि मामला धारा 302 या 304 भाग I या 304 भाग II के तहत आता है या नहीं। कई छोटे या महत्वहीन मामले-किसी फल को तोड़ना, मवेशियों का भटकना, बच्चों

का झगड़ा, अशिष्ट शब्द बोलना या यहां तक कि एक आपत्तिजनक नज़र, विवाद और सामूहिक संघर्षों का कारण बन सकते हैं जो मौतों में परिणत हो सकते हैं। ऐसे मामलों में बदला, लालच, ईर्ष्या या संदेह जैसे सामान्य उद्देश्य पूरी तरह से अनुपस्थित हो सकते हैं। कोई इरादा नहीं हो सकता है। कोई
पूर्वधारणा नहीं हो सकती है। वास्तव में, आपराधिकता भी नहीं हो सकती है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, हत्या के मामले हो सकते हैं जहां आरोपी बचने का प्रयास करता है- एक मामला सामने रखने का प्रयास करके हत्या के लिए दंड कि मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था। अदालतों को यह सुनिश्चित करना है कि धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 भाग I/II के तहत दंडनीय अपराधों में परिवर्तित नहीं किया जाए, या गैर इरादतन हत्या के मामलों को धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के रूप में माना जाए। मृत्यु का कारण बनने का इरादा आम तौर पर अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित में से कुछ या कई के संयोजन से एकत्र किया जा सकता हैः (i) उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति; (ii) क्या हथियार आरोपी द्वारा ले जाया गया था या घटनास्थल से उठाया गया था; (iii) क्या चोट शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को लक्षित है; (iv) चोट पहुंचाने में प्रयुक्त बल की मात्रा; (v) क्या यह कार्य अचानक लड़ाई या अचानक लड़ाई के दौरान था या सभी लड़ाई के लिए स्वतंत्र था; (vi) क्या घटना संयोग से होती है या क्या कोई पूर्वधारणा थी; (vii) क्या कोई पूर्व शत्रुता थी या मृतक एक अजनबी था; (viii) क्या कोई गंभीर और अचानक उकसावा था, और यदि ऐसा है, तो इस तरह के उकसावे का कारण; (ix) क्या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति ने अनुचित लाभ उठाया है या असामान्य तरीके से काम किया है और (x) क्या आरोपी को कई बार मारा गया है या नहीं। परिस्थितियों की उपरोक्त सूची, निश्चित रूप से, संपूर्ण नहीं है और व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में कई अन्य विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो इरादे के प्रश्न पर प्रकाश डाल सकती हैं।
[जोर दिया गया]

32. हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 857 में पुलिस निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए अनबझगन बनाम राज्य के मामले में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया जा रहा हैः

"66 उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट होने वाले कानून के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

(1) जब न्यायालय का सामना इस प्रश्न से किया जाता है कि अभियुक्त ने कौन-सा अपराध किया है, तो वास्तविक परीक्षा यह पता लगाने के लिए होती है कि कार्य करने में अभियुक्त का इरादा या ज्ञान क्या था। यदि इरादा या जानकारी ऐसी थी जैसा कि आईपीसी की धारा 300 के खंड (1) से (4) में वर्णित है, तो यह कार्य हत्या होगी, भले ही केवल एक चोट लगी हो ----

(2) यहां तक कि जब आरोपी का इरादा या ज्ञान आईपीसी की धारा 300 के खंड (1) से (4) के भीतर आ सकता है, तो आरोपी का कार्य जो अन्यथा हत्या होगी, हत्या के दायरे से बाहर ले लिया जाएगा, अगर आरोपी का मामला उस धारा में उल्लिखित पांच अपवादों में से किसी एक को आकर्षित करता है। उन अपवादों में से किसी के अंतर्गत आने वाले मामले की स्थिति में, अपराध आईपीसी की धारा 304 की धारा 1 के अंतर्गत आने वाली गैर इरादतन हत्या होगी, यदि अभियुक्त का मामला आईपीसी की धारा 300 के खंड (1) से (3) के अंतर्गत आता है। यह धारा 304 के भाग 2 के तहत अपराध होगा यदि मामला आईपीसी की धारा 300 के खंड (4) के भीतर आता है। पुनः, अभियुक्त का आशय या ज्ञान ऐसा हो सकता है कि आईपीसी की धारा 299 का केवल दूसरा या तीसरा भाग ही आकर्षित किया जाए, लेकिन आईपीसी की धारा 300 के किसी भी खंड को नहीं। उस स्थिति में भी, अपराध आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या होगी। यह उस धारा के भाग I के तहत अपराध होगा, यदि मामला धारा 299 के दूसरे भाग के भीतर आता है, जबकि यह धारा 304 के भाग II के तहत अपराध होगा यदि मामला आईपीसी की धारा 299 के तीसरे भाग के भीतर आता है।

(3) दूसरे शब्दों में कहें तो, यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति का कार्य आईपीसी की धारा 299 में वर्णित गैर इरादतन हत्या के मामलों के पहले दो खंडों के भीतर आता है तो यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। हालाँकि, यदि यह तीसरे खंड के अंतर्गत आता है, तो यह धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है। वास्तव में, इसलिए, इस धारा का पहला भाग तब लागू होगा जब "दोषी इरादा" है, जबकि दूसरा भाग तब लागू होगा जब ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन "दोषी ज्ञान" है।

(4) यहां तक कि अगर एक चोट लगी है, अगर उस विशेष चोट का इरादा था, और वस्तुनिष्ठ रूप से कि

चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, तो आईपीसी की धारा 300 के खंड 3 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और अपराध हत्या होगी।

(5) आई. पी. सी. की धारा 304 निम्नलिखित वर्गों के मामलों पर लागू होगीः (i) जब मामला धारा 300 के खंडों में से एक या दूसरे के अधीन आता है, लेकिन यह उस धारा के अपवादों में से एक द्वारा कवर किया जाता है, (ii) जब होने वाली चोट अधिक संभावना की नहीं है जो अभिव्यक्ति द्वारा कवर की जाती है "मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त" लेकिन संभावना की कम डिग्री है जिसे आम तौर पर चोट के रूप में कहा जाता है। मृत्यु का कारण बनने की संभावना है और मामला आईपीसी की धारा 300 के खंड (2) के तहत नहीं आता है, (iii) जब यह कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु या चोट पहुंचाने के इरादे के बिना मृत्यु होने की संभावना है। इसे अधिक संक्षिप्त रूप में रखने के लिए, आईपीसी की धारा 304 के दो भागों के बीच अंतर यह है कि पहले भाग के तहत, हत्या का अपराध पहले स्थापित किया जाता है और फिर आरोपी को आईपीसी की धारा 300 के अपवादों में से एक का लाभ दिया जाता है, जबकि दूसरे भाग के तहत, हत्या का अपराध कभी भी स्थापित नहीं होता है। इसलिए, किसी अभियुक्त को आईपीसी की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के उद्देश्य से, अभियुक्त को अपने मामले को आईपीसी की धारा 300 के अपवादों में से किसी एक के भीतर लाने की आवश्यकता नहीं है।

(6) "संभावना" शब्द का अर्थ है संभवतः और यह अधिक "संभवतः" से अलग है। जब ऐसा होने की संभावना समान या उससे अधिक होती है, तो हम कह सकते हैं कि बात "शायद होगी"। निष्कर्ष पर पहुँचने में, अदालत को खुद को अभियुक्त की स्थिति में रखना होता है और फिर यह निर्णय करना होता है कि क्या अभियुक्त को यह जानकारी थी कि इस कार्य से उसकी मृत्यु होने की संभावना थी।

(7) आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप से निपटने के दौरान गैर इरादतन हत्या (आईपीसी की धारा 299) और हत्या (आईपीसी की धारा 300) के बीच के अंतर को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए। गैरकानूनी श्रेणी के तहत हत्याएं, दोनों, गैर इरादतन हत्या के मामले और जो हत्या के बराबर नहीं हैं, गिरेंगे। जब मामला आई. पी. सी. की धारा 300 के पांच अपवादों के भीतर लाया जाता है तो निंदनीय हत्या हत्या नहीं है। लेकिन, भले ही उक्त पांच अपवादों में से किसी का भी अनुरोध या प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर

साक्ष्य पर स्थापित नहीं किया गया है, फिर भी हत्या के आरोप को बनाए रखने के लिए आईपीसी की धारा 300 के चार खंडों में से किसी के तहत मामले को लाने के लिए कानून के तहत अभियोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 300 के चार खंडों में से किसी एक को स्थापित करने में इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, अर्थात्, 1 से 4 तक, तो हत्या का आरोप नहीं लगाया जाएगा और मामला गैर-इरादतन हत्या का हो सकता है जैसा कि आईपीसी की धारा 299 के तहत वर्णित है।

(8) न्यायालय को पुरुष अधिकार के प्रश्न पर स्वयं को संबोधित करना चाहिए। यदि धारा 300 का तीसरा खंड लागू किया जाना है, तो हमलावर को मृतक को दी गई विशेष चोट का इरादा रखना चाहिए। इस घटक को शायद ही कभी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। अनिवार्य रूप से, यह मामले की सिद्ध परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालने का विषय है। अदालत को आवश्यक रूप से उपयोग किए गए हथियार की प्रकृति, शरीर के घायल हिस्से, चोट की सीमा, चोट पहुंचाने में उपयोग किए गए बल की डिग्री, हमले के तरीके, हमले से पहले की परिस्थितियों और परिचर को ध्यान में रखना चाहिए।

(9) हत्या का इरादा एकमात्र इरादा नहीं है जो एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है। प्रकृति के सामान्य कारण में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोट या चोट पहुंचाने का इरादा भी एक गैर-इरादतन हत्या को हत्या बनाता है यदि मृत्यु वास्तव में हुई है और इस तरह की चोट या चोट का कारण बनने का इरादा चोट या चोट के परिणामस्वरूप कार्य या कार्यों से अनुमान लगाया जाना है।

(10) जब अभियुक्त द्वारा की गई एकल चोट के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो सामान्य सिद्धांत के रूप में, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त का इरादा मृत्यु या उस विशेष चोट का कारण बनने का नहीं था जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हुई थी। किसी अभियुक्त का दोषी ठहराने का वांछित इरादा था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना है।

(11) जहां अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि अभियुक्त का किसी व्यक्ति की मृत्यु करने या उसे शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा था और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में अपेक्षित चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, तो, भले ही वह एक भी चोट पहुंचाता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु होती है, अपराध पूरी तरह से आईपीसी की धारा 300 के खंड 3 के तहत आता है जब तक कि अपवादों में से एक लागू नहीं होता है।

(12) इस प्रश्न का अवधारण करने में कि क्या किसी अभियुक्त को किसी ऐसे मामले में, जहां उसके द्वारा केवल एक ही चोट दी गई है, दोषी होने का इरादा था या दोषी ज्ञान था और वह चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त है, यह तथ्य कि कार्य अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्व-चिंतन के बिना किया गया है, या यह कि परिस्थितियां यह उचित ठहराती हैं कि चोट आकस्मिक या अनजाने में थी, या कि उसने केवल एक साधारण चोट का इरादा किया था, दोषी ज्ञान का निष्कर्ष निकालेगा, और अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत एक होगा।

33. विधि के प्रस्ताव की उपर्युक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय को तत्काल मामले में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना हैः-

(i) क्या विचारण के क्रम में जो सामग्री आई है, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन किए गए अपराध के घटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है? या

(ii) क्या मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत आता है? या

(iii) क्या तथ्यात्मक पहलू के आधार पर, मामला धारा 304 के भाग-I या उसके भाग-II के दायरे में आएगा? या

(iv) क्या अपीलार्थी ठोस साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त होने के हकदार हैं?

34. चूंकि उपरोक्त सभी मुद्दे अटूट रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे उन पर एक साथ विचार करके निर्णय लिया जा रहा है।

35. कानून अच्छी तरह से तय है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप साबित करने के लिए, यह अदालत का बाध्य कर्तव्य है कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के तहत गैर इरादतन हत्या के घटकों पर विचार करे जैसा कि आईपीसी की धारा 300 के तहत प्रदान की गई है और हत्या के बराबर नहीं है जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत प्रदान किया गया है।

36. धारा 299 भारतीय दंड सहिंता गैर इरादतन हत्या के बारे में बात करता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी मौत के इरादे से, या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से मौत का कारण बनता है जिससे मौत होने की संभावना है, या इस ज्ञान के साथ कि वह इस तरह के कार्य से मौत का कारण बन सकता है, गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है। इस प्रकार, धारा 299 गैर-इरादतन हत्या के अपराध को परिभाषित करती है जिसमें एक कार्य करना शामिल है-(क) मृत्यु के इरादे से; (ख) ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से जिससे मृत्यु होने की संभावना है; (ग) इस ज्ञान के साथ कि कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, इरादे और ज्ञान के रूप में धारा 299 के तत्व सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करते हैं और यह मानसिक स्थिति अपराध के विशेष दोषी मन का तत्व होना आवश्यक है। तीसरी स्थिति का ज्ञान ज्ञान या व्यक्ति की मृत्यु की संभावना पर विचार करता है।

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य पर विचार करते हुए ए.आई.आर.1976 एस.सी. 1519 में रिपोर्ट किए गए जयराज बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में अनुच्छेद 32 और 33 में अभिनिर्धारित किया है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा हैः-

"32. इस उद्देश्य के लिए हमें धारा 299 पर जाना होगा जो "गैर इरादतन हत्या" को परिभाषित करती है। इस अपराध में (क) मृत्यु करने के इरादे से, या (ख) ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, या (ग) इस ज्ञान के साथ कि कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, एक कार्य करना शामिल है।

33. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा आंडा बनाम राजस्थान राज्य [ए. आई. आर. 1966 एस.सी. 148:1966 सी. आर. आई. एल. जे. 171] x में धारा 299 के घटकों में "आशय" और "ज्ञान" सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करता है और यह मानसिक स्थिति अपराध के लिए आवश्यक विशेष पुरुष कारण है। पहली दो शर्तों में दोषी इरादे से नुकसान पहुँचाए गए व्यक्ति की इच्छित मृत्यु या जानबूझकर चोट पहुँचाने से उसकी मृत्यु होने की संभावना पर विचार किया जाता है। तीसरी स्थिति में ज्ञान व्यक्ति की मृत्यु की संभावना के ज्ञान पर विचार करता है।

38. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि हमारी विधायिका ने दो अलग-अलग शब्दावली 'आशय' और 'ज्ञान' का उपयोग किया है और शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है और इस ज्ञान के साथ किए गए कार्य के लिए कि उसके कार्य से ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे के बिना मृत्यु होने की संभावना है। चोट के कारण मृत्यु होने की संभावना है, यह मानना उचित होगा कि 'आशय' और 'ज्ञान' को एक दूसरे के साथ समान नहीं किया जा सकता है। वे अलग-अलग चीजों को इंगित करते हैं। कभी-कभी, यदि परिणाम इतना स्पष्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि ज्ञान से, इरादे का अनुमान लगाया जा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि 'आशय' और 'ज्ञान' एक ही हैं। 'ज्ञान' केवल उन परिस्थितियों में से एक होगी जिन्हें अपेक्षित आशय का निर्धारण या अनुमान लगाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

39. इस प्रकार, गैर इरादतन हत्या और हत्या के अपराध को परिभाषित करते हुए, भारतीय दंड संहिता के निर्माताओं ने यह निर्धारित किया कि अभियुक्त पर अपेक्षित इरादा या ज्ञान लगाया जाना चाहिए जब उसने वह कार्य किया जो मौत का कारण बना ताकि उसे गैर इरादतन हत्या या हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके, जैसा भी मामला हो।

40. भारतीय दंड संहिता के निर्माताओं ने योजनाबद्ध रूप से 'इरादा' और 'ज्ञान' दो शब्दों का उपयोग किया, और यह लिया जाना चाहिए कि निर्माताओं का इरादा इन दो अभिव्यक्तियों के बीच अंतर करना था। उन परिणामों का ज्ञान जो किसी कार्य को करने के परिणामस्वरूप हो सकते हैं, वही उद्देश्य नहीं है कि ऐसे परिणाम सामने आने चाहिए। सिवाय उन मामलों के जहां यह साबित करने के लिए कि किसी व्यक्ति

को कुछ ज्ञान था, पुरुष अधिकार की आवश्यकता नहीं है, उसे पता होना चाहिए कि कुछ निर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होंगे या हो सकते हैं। (अपराध पर रसेल,बारहवाँ संस्करण, पृष्ठ 40 पर खंड 1)

41. भारतीय दंड संहिता की धारा 299 को ध्यान में रखते हुए, धारा 304 भाग-2 के तहत आरोप तय करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, वह कम से कम प्रथम दृष्टया यह इंगित करती होनी चाहिए कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है जिससे कम से कम इस ज्ञान के साथ मृत्यु हुई है कि इस तरह के कार्य से मृत्यु होने की संभावना थी।

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, केशुब महिंद्रा बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. में। (1996) 6 एस. सी. सी. 129 में अभिलिखित को अनुच्छेद 20 के अधीन अभिनिर्धारित किया गया है जो इसके नीचे इस प्रकार हैः-

"20 --- हम पहले आईपीसी की धारा 304 भाग II के मुख्य प्रावधानों के तहत संबंधित आरोपी के खिलाफ बनाए गए आरोपों पर विचार करेंगे। धारा 304 भाग 2 पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि संबंधित अभियुक्त पर उस प्रावधान के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और जब इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, यदि यह आरोप लगाया जाता है कि संबंधित अभियुक्त का कार्य इस ज्ञान के साथ किया गया है कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन मृत्यु होने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे के बिना, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, आरोपित अपराध धारा 304 भाग 2 के तहत आएंगे। तथापि, इससे पहले कि धारा 304 भाग 2 के तहत कोई आरोप तैयार किया जा सके, अभिलेख पर सामग्री को कम से कम प्रथम दृष्टया यह दिखाना चाहिए कि अभियुक्त गैर-इरादतन हत्या का दोषी है और कथित रूप से उसके द्वारा किया गया कार्य गैर-इरादतन हत्या के बराबर होना चाहिए। हालांकि, यदि संबंधित अभियुक्त के खिलाफ ऐसा आरोप तैयार करने के लिए सामग्री पर भरोसा किया जाता है, तो यह प्रथम दृष्टया यह संकेत देने से भी कम है कि अभियुक्त धारा 304 भाग I या भाग II के गैर-इरादतन हत्या के अपराध का दोषी प्रतीत होता है। इस संबंध में हमें दंड संहिता, 1860 की धारा 299 को ध्यान में रखना होगा जो गैर-इरादतन हत्या को परिभाषित करती है। इसमें कहा गया है किः "जो कोई भी मौत का कारण बनने के इरादे से, या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से मौत का कारण बनता है जिससे मौत होने की संभावना है, या इस ज्ञान के साथ कि वह इस तरह के कार्य से मौत का कारण बनता है, गैर-इरादतन हत्या का अपराध करता है। नतीजतन, धारा 304 भाग 2 के तहत आरोप

तैयार करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, उससे कम से कम प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलना चाहिए कि अभियुक्त ने एक ऐसा कार्य किया था जिससे कम से कम इस ज्ञान के साथ मृत्यु हुई थी कि वह ऐसे कार्य से मृत्यु का कारण बन सकता था। ---"43. भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या के बारे में बात करती है जिसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि इसके बाद के मामलों को छोड़कर, गैर-इरादतन हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, मृत्यु के इरादे से किया गया है, या, दूसरा, यदि यह ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया है जो अपराधी जानता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है जिसे नुकसान पहुंचाया गया है, या तीसरा, यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया है और शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, या चौथा, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि इसे सभी संभावनाओं में, मृत्यु का कारण बनना चाहिए, या ऐसी शारीरिक चोट, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और बिना किसी बहाने के ऐसा कार्य करना चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंड तब लागू नहीं होगा जब ऊपर वर्णित किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कहता है कि यदि अभियुक्त ने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की है तो हत्या साबित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में हत्या के अपराध के लिए कुछ अपवादों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार हैं:

(क) यदि कोई व्यक्ति अचानक किसी तीसरे पक्ष द्वारा उकसाया जाता है और अपना आत्म-नियंत्रण खो देता है, और जिसके परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति या उसे उकसाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यह प्रावधान के अनुसार परंतुक के अधीन हत्या के बराबर नहीं होगा।

(ख) जब निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अधीन कोई व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसके विरुद्ध उसने बिना किसी पूर्वधारणा और इरादे के इस अधिकार का प्रयोग किया है।

(ग) यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए और वैध इरादा रखते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है।

(घ) यदि यह पूर्वकल्पना के बिना किया गया है, तो आवेग की गर्मी में अचानक लड़ाई में अचानक झगड़ा हुआ है और अपराधी ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया है।

(ड) जब व्यक्ति जिसकी मृत्यु अठारह वर्ष से अधिक आयु में हुई है, मृत्यु का शिकार होता है या अपनी सहमति से मृत्यु का जोखिम उठाता है, तो दोषपूर्ण हत्या हत्या नहीं है।

45. ऊपर वर्णित ये सभी अपवाद आईपीसी की धारा 304 के दायरे में आएंगे और इन्हें गैर इरादतन हत्या कहा जाएगा।

46. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि हत्या के अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते समय जिन मापदंडों का पालन किया जाना है, वे अलग-अलग होंगे यदि हत्या गैर-इरादतन हत्या के तहत आती है और यह अलग होगा यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के तहत बनाए गए अपवाद के दायरे के बाहर हत्या करने के इरादे से।

47. वर्तमान मामले में याचिकाएं, अन्य बातों के साथ-साथ, अपीलार्थी की ओर से ली गई हैं और अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि यह पत्नी के माता-पिता के घर जाने के मामले में पति और पत्नी के बीच अचानक झगड़ा था। चूंकि इस तरह की पहली आवश्यकता जुनून की गर्मी के कारण पूरी होती है, इसलिए पति ने पिरहा (बैठने के लिए बने लकड़ी के तख्ते) का संकेत दिया, जिससे मृतक-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई।

48. मामले का निर्णय करने के मापदंडों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सयाजी हनमत बाउकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 3172 के मामले में निपटाया गया है, जिसमें मामले की परिस्थितियों के तहत यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कार्य अचानक झगड़े में पूर्व-चिंतन के बिना किया जाता है और यदि अपराधी कोई अनुचित लाभ नहीं उठाता है या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं करता है, तो अपवाद 4 आकर्षित किया जाएगा।

49. कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि आईपीसी की धारा 300 में अपवाद 4 को आकर्षित करने के लिए, चार आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए अर्थात्:-

(क) यह अचानक लड़ाई होनी चाहिए।

(ख) कोई पूर्वधारणा नहीं थी।

(ग) यह कृत्य जुनून की गर्मी में किया गया था।

(घ) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था।

50. घटना के दौरान हुए घावों की संख्या एक निर्णायक कारक नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि घटना अचानक और पूर्व नियोजित नहीं हुई होगी और अपराध गुस्से में हुआ होगा। बेशक, अपराधी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया होगा या क्रूर तरीके से काम नहीं किया होगा। यदि एक क्षण की गर्मी में कोई व्यक्ति अचानक झगड़े में कोई हथियार या कोई ऐसी चीज उठाता है जो काम आती है और जिससे चोटें लगती हैं, जिनमें से एक घातक साबित होती है, तो वह आईपीसी की धारा 300 के इस अपवाद 4 के लाभ का हकदार होगा, बशर्ते कि उसने क्रूरता नहीं की हो। इस प्रकार जब भी अचानक लड़ाई और संघर्ष का मामला होता है, तो इसे आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत निपटाया जाना चाहिए।

51. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय अब इस मुद्दे का उत्तर देने के लिए विचारण के क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि क्या यह धारा 302 या धारा 304 भाग-I या II द्वारा हत्या या अपवाद 4 के प्रावधानों की तुलना में साक्ष्य की सराहना करते हुए।

52. अभियोजन साक्षी 1 मो. सफीद जो इस मामले का सूचक है, एक सुनी सुनाई गवाह है। उसने बयान दिया है कि जब वह अपने कार्यालय (एसबीआई, गांडो शाखा) से अपनी मोटरसाइकिल से लौट रहा था तो उसे गाँव चिरुडीह से टेलीफोन पर सूचना मिली कि चुंडा मुर्मू की पत्नी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद

वह वहाँ गए और ग्रामीणों की भीड़ को देखा, जहाँ चुंडा की पत्नी जोबा आंगन में घायल हालत में पड़ी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। उन्होंने कहा कि चुंडा ने उसके सिर पर 'पिरहा' (लकड़ी की संरचना) वार करके उसकी हत्या कर दी है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने मोबाइल से पुलिस को सूचित किया तो पुलिस आई और शव को ले गई। अपनी जिरह में, उसने कहा है कि कई ग्रामीणों ने बताया कि चुंडा ने उसकी पत्नी की हत्या की है।

53. अभियोजन साक्षी 2 मलिक मरांडी हैं। उसने अपने मुख्या परीक्षा में कहा है कि मैनुद्दीन अंसारी ने बताया है कि चुंडा ने उसकी पत्नी पर हमला किया है और वह जीवित है। उन्होंने आगे कहा है कि वह जाने वाले थे तो एक बच्चे ने कहा है कि घायल की मौत हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जोबा जमीन पर लेटा हुआ था और खून बह रहा था और ग्रामीणों ने चुंडा को बांधकर रखा था और जब उन्होंने चुंडासे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पिरहा का वार देकर अपनी पत्नी की हत्या की है। मृतक अपने पांच बच्चों को छोड़कर मेला जाने के लिए दो रातों के लिए अपने घर से बाहर था और पूछताछ पर उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया और नैहर जाने के बाद उसने उसे रोक दिया और गुस्से में उसने उसे 'पिरहा' वार किया था। उन्होंने आगे कहा है कि चुंडा और जोबा दोनों नशे की हालत में थे, फिर उन्होंने मोबाइल पर चौकीदार को सूचित किया।

54. अभियोजन साक्षी 3 मंगल मुर्मू ने कहा है कि वह हुल्ला पर घटना स्थल पर पहुंचा और देखा कि चुंडा की पत्नी मृत पड़ी है और पिरहा भी वहाँ है और चुंडा बंधा हुआ है। उसने आगे कहा है कि आरोपी ने लकड़ी के पिरहा से वार करके हत्या की थी, लेकिन उसे इसके पीछे का कारण नहीं पता है

55. अभियोजन साक्षी 4 बटेश्वर मरांडी ने अपने मुख्य जाँच में कहा है कि उनके ग्रामीण चुंडा मुर्मू की पत्नी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी मृत्यु कैसे और कब हुई।

56. अभियोजन साक्षी 5 जीतू मुर्मू ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उन्हें घटना के बारे में पता नहीं है। इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है।

57. अभियोजन साक्षी 6 रास्का मुर्मू ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि 29.10.2011 को पुलिस ने चुंडा मुर्मू के घर से उसके सामने खून से लथपथ मिट्टी से घिरा पिरहा (लकड़ी का ढांचा) जब्त किया है।

58. अभियोजन साक्षी 7 मो. निजामुद्दीन ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना 29.10.2011 को हुई थी और उस समय वह मुफ्फसिल पुलिस स्टेशन, दुमका में तैनात था। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें रात में टेलीफोन से जानकारी मिली कि यह घटना चुंडा के गांव चिरुडीह के घर में हुई है, फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि चुंडा ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। इसके बाद वह रात में वहां पहुंचा और देखा कि मृतक का शव घर के बरामदे में पड़ा था और खून से सना पिरहा भी शव के पास पड़ा था और जब उसने ग्रामीणों से पूछा कि उसकी मौत कैसे हुई तो ग्रामीणों ने उसे बताया कि चुंडा मुर्मू ने उसे मार डाला है और ग्रामीणों ने उसे खुटा से बांध रखा है तो वह चुंडा मुर्मू के पास गया और उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी पत्नी रात में बाहर जाती थी और उसे खाना बनाना पड़ता था और इसी गुस्से में उसने उसे मार डाला। इस गवाह ने आगे कहा है कि इसके बाद उसने गाँव के चौकीदार को सूचित किया और उसे बुलाया और बाद में उसने पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भी बुलाया।

59. अभियोजन साक्षी 8 मो. मुख्तार अली ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना 29.10.2011 को हुई थी और उस समय वह अपने घर के बरामदे में बैठे थे। उसने आगे कहा है कि आरोपी भाई के मैनू किस्कू की पत्नी रो रही थी, फिर वह वहां पहुंचा और देखा कि सामने का दरवाजा बंद था और मनुद्दीन अंसारी ने पीछे से दरवाजा खोला तब कमरे में प्रवेश किया और देखा कि शव दरवाजे के पास पड़ा हुआ था और जब उसने उसे छुआ और महसूस किया कि उसकी सांस चल रही थी तो उसने वाहन की व्यवस्था की, इस बीच उसकी मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा है कि मैनू किस्कु ने बताया कि आरोपी ने पिरहा द्वारा मृतक पर हमला किया है और कान से खून बह रहा था और पिरहा वहां पड़ा हुआ था। उन्होंने आगे कहा है कि कई ग्रामीण वहां जमा थे और चुंडा मुर्मू कुछ दूरी पर खाट पर बैठे थे और उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने सरदार जी को टेलीफोन किया और फिर वे आए और चौकीदार और पुलिस भी आ गई है।

60. अभियोजन साक्षी 9 परमेश्वर लियांगी, इस मामले के अनुसंधान पदाधिकारी हैं। उसने अपनी जांच में

कहा है कि 29.10.2011 को वह दुमका (एम) पुलिस स्टेशन में तैनात था और 3 बजे दोपहर पर उसे सूचना मिली कि गांव चिरुडीह में आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उस सूचना पर वह गांव चिरुडीह के चुंडा मुर्मू के घर पहुंचा और चौकीदार मो. सफीद का फर्द बयान दर्ज किया। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने घटना स्थल का नक्शा तैयार किया है, जिसका उल्लेख केस डायरी के पृष्ठ-04 पर किया गया है, जिसे प्रदर्श 5 के रूप में चिह्नित किया गया है। उसने घटना स्थल से खून और खून से सना मिट्टी से घिरा पिरहा जब्त कर लिया है।

61. अभियोजन साक्षी 10 डॉ. रमेश प्रसाद वर्मा हैं, जिन्होंने जोबा मरांडी के शव का पोस्टमॉर्टम किया है, जिसके बाद उन्हें मृतक के शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-शव परीक्षण मिलेः- (I) दाहिनी ओर ऊपरी होंठ पर घाव।(II) पार्श्विका क्षेत्र के सामने बाएँ हिस्से में सूजन फैलाना।उन्होंने आगे कहा है कि विच्छेदन पर, रक्त का त्वचीय संग्रह था। उनकी राय में, मृत्यु आघात और रक्तस्राव के परिणामस्वरूप चोट नं। (ii). कठोर और कुंद पदार्थ द्वारा उपयोग किया जाने वाला हथियार।

62. अभियोजन साक्षी 11 मनोज कुमार शर्मा हैं, जो एक औपचारिक गवाह हैं।

63. इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के ऊपर की गई चर्चा के आधार पर पाया है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षी -1, अभियोजन साक्षी -2, अभियोजन साक्षी -7 और अभियोजन साक्षी 8 की गवाही पर विचार किया है, जिसमें अभियोजन पक्ष के संस्करण का उनके द्वारा समर्थन किया गया है। अभियोजन साक्षी 9, अनुसंधान पदाधिकारी ने बयान दिया है किया कि उसे सूचना मिली है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उस सूचना पर वह घटना स्थल पर पहुंचा और चौकीदार मो. सफीद का फरदबयान दर्ज किया और घटना स्थल से खून और खून से सना मिट्टी से घिरा पिरहा भी जब्त कर लिया। उसने आगे कहा है कि उसने आरोपी के बचाव के सबूत दर्ज किए हैं जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसी तरह, अभियोजन साक्षी 2 ने यह भी कहा है कि जब उन्होंने अपीलार्थी-चुंडा से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पीरहा को पीट-पीटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि मृतक अपने पांच बच्चों को छोड़कर मेला जाने के लिए दो रातों के लिए अपने घर से बाहर था और पूछताछ पर उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया और नैहर जाने के बाद उसने उसे रोक दिया और अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया है। गुस्से में, उसने उसे 'पिरहा'

मारा था। अभियोजन साक्षी 2 ने आगे कहा है कि अपीलार्थी-पति और मृतक-पत्नी दोनों नशे की हालत में थे। अभियोजन साक्षी 7 ने उसी तरीके से गवाही दिया है की वो चुंडा मुर्मू के पास गया और उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी पत्नी रात में बाहर जाती थी और उसे खाना बनाना पड़ता था और इस गुस्से के कारण उसने उसे मार डाला। लेकिन धारा 313 Cr.P.C के तहत दर्ज बयान में, अपीलार्थी ने अपराध करने से इनकार किया है। अभियोजन साक्षी 10, चिकित्सक ने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया है कि मृत्यु आघात और रक्तस्राव के परिणामस्वरूप चोट नं। (ii) और कठोर और कुंद पदार्थ द्वारा उपयोग किया जाने वाला हथियार।

64. उपर्युक्त तथ्य के आलोक में, अब इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि क्या मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के तहत आ रहा है।

65. स्वीकार्य रूप से, इस अपवाद को लागू करने के लिए, चार अवयवों को संतुष्ट किया जाना चाहिए, जो - (i) यह एक अचानक लड़ाई थी; (ii) कोई पूर्वधारणा नहीं थी; (iii) अधिनियम जुनून की गर्मी में किया गया था; और (iv) हमलावर ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था।

66. धीरजभाई गोरखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य [(2003) 9 एस. सी. सी. 322 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया गया हैः-

"आई. पी. सी. की धारा 300 का चौथा अपवाद, आई. पी. सी. में अचानक लड़ाई में किए गए कृत्यों को शामिल किया गया है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इसका स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद एक ही सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में पूर्वधारणा का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का कुल अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल जुनून की गर्मी है जो पुरुषों के शांत तर्क को प्रभावित करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करेंगे। अपवाद 1 के रूप में अपवाद 4 में उकसावा है; लेकिन की गई चोट उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें एक झटका लगने के बावजूद, या विवाद की उत्पत्ति में दिए गए कुछ उकसावे या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो सकता है, फिर भी दोनों पक्षों के बाद के आचरण ने उन्हें

अपराध के संबंध में समान आधार पर रखा है। एक 'अचानक लड़ाई' का अर्थ है आपसी उकसावे और दोनों पक्षों पर मार-पीट। तब की गई हत्या का स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के लिए पता नहीं लगाया जा सकता है, और न ही ऐसे मामलों में पूरे दोष को एक तरफ रखा जा सकता है। यदि ऐसा था, तो अधिक उपयुक्त रूप से लागू होने वाला अपवाद अपवाद 1 होगा। लड़ने के लिए कोई पूर्व विचार-विमर्श या दृढ़ संकल्प नहीं है। अचानक एक लड़ाई होती है, जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्षों को दोषी ठहराया जाता है। यह हो सकता है कि उनमें से एक ने इसे शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने अपने स्वयं के आचरण से इसे नहीं बढ़ाया होता तो यह उतना गंभीर मोड़ नहीं लेता जितना उसने लिया था। इसके बाद आपसी उकसावे और आक्रोश होता है, और दोष के उस हिस्से को विभाजित करना मुश्किल होता है जो प्रत्येक योद्धा से जुड़ा होता है। अपवाद 4 की सहायता तब ली जा सकती है जब मृत्यु (क) पूर्वकल्पना के बिना, (ख) अचानक लड़ाई में; (ग) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना; और (घ) लड़ाई मारे गए व्यक्ति के साथ हुई होगी। एक मामले को अपवाद 4 के भीतर लाने के लिए उसमें उल्लिखित सभी सामग्री होनी चाहिए। अपील (डी. बी.) नं. 2017 का 839 पाया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 में होने वाली 'लड़ाई' को आईपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने में दो लगते हैं। जुनून की गर्मी के लिए आवश्यक है कि जुनून को ठंडा करने के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए और इस मामले में, पार्टियों ने शुरुआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया है। लड़ाई दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या बिना हथियारों के। किसी भी सामान्य नियम का उच्चारण करना संभव नहीं है कि अचानक झगड़ा क्या माना जाएगा। यह तथ्य का सवाल है और क्या झगड़ा अचानक होता है या नहीं, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के सिद्ध तथ्यों पर निर्भर करता है। अपवाद 4 के अनुप्रयोग के लिए, यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्वधारणा नहीं थी। यह आगे दिखाया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त 'अनुचित लाभ' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'अनुचित लाभ।

67. यह न्यायालय, ऊपर चर्चा किए गए तथ्यात्मक पहलू के आधार पर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरिन्दर कुमार बनाम संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ (ऊपर वर्णित) ननकानू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ऊपर वर्णित) मुरलीधर शिवराम पाटेकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर वर्णित) और सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य (ऊपर वर्णित) के मामले में निर्धारित विधि पर विचार करने के पश्चात् और अन्य पूर्वोक्त

न्यायिक निर्णय जिसमें गैर इरादतन हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच अंतर बनाया गया है, दिए गए मामले के तथ्यों का खंडन करते हुए, दिए गए मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है।

68. तत्काल मामले में गवाहों की गवाही के अवलोकन से यह देखा जाता है कि हालांकि गवाहों में से कोई भी अभियोजन पक्ष द्वारा जांच की गई घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बयान दिया है कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, चुंडा मुर्मू और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था और चुंडा मुर्मू, जिसने आरोप लगाया था कि वह पूरे दिन नशे की हालत में रहा और कोई काम नहीं किया और उसकी पत्नी ने अपने चार बच्चों को वैसे भी रखा और वह अपने पति से नाराज थी, वह अपने पिता के घर जाना चाहती थी, तो चुंडा मुर्मू ने उसे मना कर दिया और जब उसने ऐसा नहीं किया और अपने पिता के घर जाने के लिए कठोर हो गई तो चुंडा मुर्मू ने एक लकड़ी का पिरहा उठाया और उसकी पत्नी के सिर पर जबरन प्रहार किया, जिसके कारण उसकी पत्नी को गंभीर चोट लगी और वह घायल अवस्था में गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई।

69. इस स्तर पर, इस सुस्थापित सिद्धांत को दोहराना आवश्यक है कि अभियुक्त के अपराध का निर्णय विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है। अभियुक्त व्यक्ति पर पाई गई चोटें उत्पत्ति और घटना के तरीके के संबंध में महत्व रखती हैं।

70. इस प्रकार मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और अभिलेख पर भौतिक साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करने पर हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि पत्नी के माता-पिता के घर जाने के मुद्दे पर पति और पत्नी के बीच झगड़े के कारण, अपीलार्थी-पति, जो नशे की हालत में था, ने लकड़ी का पिरहा उठाया और अपनी पत्नी के सिर पर वार किया, जिससे उसकी पत्नी को गंभीर चोट लगी और वह घायल अवस्था में नीचे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। स्वीकार्य रूप से लकड़ी के पिरहा द्वारा सिर पर प्रहार करना पूर्वकल्पना नहीं थी, यह अचानक लड़ाई में, अचानक झगड़े के कारण जुनून की गर्मी में हुआ था और आगे यह चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित गवाहों की गवाही में आया है कि सिर के घातक हिस्से पर केवल एक प्रहार किया गया था, जो दर्शाता है कि मृतक पर कोई क्रूरता नहीं की गई थी।

71. उपर्युक्त चर्चा और न्यायिक निर्णय और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की पृष्ठभूमि में और

तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा किया गया हमला पूर्व नियोजित नहीं था और कोई इरादा भी नहीं था और आगे अपीलार्थी ने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया था या क्रूर तरीके से काम नहीं किया था, जो तथ्य गवाहों द्वारा और डॉक्टर द्वारा भी मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित होता है, इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान अपीलार्थी का मामला आईपीसी की धारा 300 की धारा 4 के अपवाद के तहत आता है, लेकिन विद्वत निचली अदालत ने मामले को हत्या का मामला मानते हुए निष्कर्ष निकाला है और इसलिए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है, लेकिन ऐसा करते हुए, ज्ञात निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 300 के तहत अपवाद के बारे में लागू होने के तथ्य की सराहना नहीं की है।

72. अतः, इस न्यायालय का यह मत है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध करने के लिए दोषी करार दिया है ने पूर्ववर्ती अनुच्छेद में दर्ज इन सभी तथ्यों की अनदेखी करके त्रुटि की है।

73. तदनुसार, हमारा विचार है कि चुनौती दिए गए निर्णय धारा जो 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराताहै, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए इसे संशोधित करके इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

74. नतीजतन, विद्वत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को संशोधित किया जाता है और अपीलार्थी-चुंडा मुर्मू को धारा 304 भाग ॥ भारतीय दंड सहिंता के तहत दोषी ठहराया जाता है। और उसे नौ साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।

75. यह अभिलेख से पता चलता है कि अपीलार्थी 29.10.2011 से अर्थात् बारह वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहा है और इस प्रकार अपीलार्थी पहले ही सजा काट चुका है और इसलिए उसे किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर जेल अभिरक्षा से तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया है।

76. यहां ऊपर, की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 17.03.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 18.03.2017 के सजा के आदेश को जो विद्वत जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, दुमका द्वारा सत्र परीक्षण 92/2012 का है, उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

77. तदनुसार, दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश में उपरोक्त संशोधन के साथ तत्काल अपील का निपटान किया जाता है।

78. इस निर्णय की एक प्रति के साथ निचली अदालत के अभिलेखों को तुरंत संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जाए।

मैं सहमत हूं। (सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांकः रांची 12/02/2024

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।